मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 26.04.2016 का कार्यवृत्त :

उपस्थिति

1. श्री सत्येन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्रीमती सीमा सिंह, अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
4. श्री ओ0पी0 मिश्र, मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
5. श्री जे0एन0 रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक/संयोजक, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
6. श्री शेर सिंह, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, कपूरथला, लखनऊ।

अन्य उपस्थिति

1. जोनल अधिशासी अभियंता व उनके सहायक।
2. विभिन्न मानचित्र के भू–स्वामी/विकासकर्ता।

कार्यवाही:

बैठक में प्रस्तुत प्रकरणों पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निम्न निर्णय प्रदान किया।

विषय सं0–1 मे0 राजकुमार, श्रवण ऑयल एवं राईस मिल्स की भूमि संख्या–11 एवं 11ए मिल रोड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ऐशबाग, लखनऊ का क्षेत्रफल–23599.23 वर्गमी0 पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र एवं समूह आवास निर्माण के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुति: भूखण्ड सं0–11 एवं 11ए मिल रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, ऐशबाग, लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित योजना का भूखण्ड है। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से सम्बन्धित शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0–72/3488/आठ–1–14–30विविध/2014, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1,दिनॉक 12 दिसम्बर, 2014 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, महायोजना में प्रस्तावित चौड़ाई 45 मी0 से प्रभावित भूमि को छोड़कर कुल भूखण्ड के 45–50 प्रतिशत भूमि भू–स्वामी, 20 प्रतिशत प्राधिकरण/सरकार को तथा अवशेष 30 प्रतिशत पर पार्क एवं मार्ग के विकास हेतु आरक्षित करते हुये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा प्रेषित तलपट मानचित्र पर तकनीकी समिति को कोई आपत्ति नहीं है। इस तलपट मानचित्र के भूखण्ड के फ्री–होल्ड की अनुमति हेतु शासन को संदर्भित किया गया है। भूखण्ड लखनऊ महायोजना–2021 के अन्तर्गत औद्योगिक तथा आवासीय होने के दृष्टिगत मिश्रित या आवासीय उपयोग में शासन द्वारा परिवर्तित होना अपेक्षित है। प्रस्तावित मानचित्र में भू–स्वामी की भूमि पर निर्माण हेतु दर्शित एफ0ए0आर0 शासनादेश के अनुरूप प्रस्तावित नहीं है। भूखण्ड के 30 प्रतिशत भूमि जो पार्क/मार्गो के रूप में विकसित किया जाना है, के एफ0ए0आर0 को आनुपातिक रूप से विकासकर्ता के भूखण्ड तथा प्राधिकरण/सरकारी विभाग को प्राप्त हो रही भूमि पर वितरण करते हुए भवन उपविधि के अनुरूप संशोधित मानचित्र प्राप्त कर परीक्षण तथा स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है। तद्नुसार पक्ष को सूचित कराते हुये भवन विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही कराने की तथा उपरोक्तानुसार एफ0ए0आर0 के वितरण से आवेदक के असहमति की

Scanned by CamScanner

दशा में शासन से एफ0ए0आर0 वितरण के बिन्दु पर दिशा–निर्देश प्राप्त कर लिये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

विषय सं0–2 श्री राघवेन्द्र सिंह चेयरमैन ऑफ ट्रस्ट मीरा देवी अवध बिहारी सिंह, मेमोरियल ट्रस्ट, द्वारा मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, सेक्टर–पी, लखनऊ के क्षेत्रफल–3051.06 वर्गमी0 भूखण्ड सं0–पी0एस0–1, प्राइमरी स्कूल के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः

प्राधिकरण द्वारा प्राइमरी स्कूल हेतु आवंटित मानसरोवर योजना के सेक्टर–पी में प्रस्तावित निर्माण से सम्बन्धित भवन मानचित्र में बेसमेन्ट में स्टोरेज तथा ऊपर तीन तल में शैक्षिक उपयोग हेतु मानचित्र प्रेषित किया गया है। खुले स्थल पर वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मानचित्र में भू–आच्छादन, सेटबैक, एफ0ए0आर0 आदि भवन उपविधि–2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत समिति द्वारा मानचित्र निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत करने हेतु संस्तुति की जाती है:–

प्रतिबन्धः–

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
3. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
7. खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

विषय सं0–3: श्री जसनीत राखरा सचिव, गुरू तेगबहादुर एजूकेशनल द्वारा मानसरोवर योजना विस्तार के सेक्टर–ओ, क्षेत्रफल–9130.00 वर्गमी0, हाई स्कूल/इण्टर कालेज के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः मानसरोवर योजना के अन्तर्गत गुरू तेगबहादुर एजूकेशनल सोसाइटी को हाईस्कूल/इण्टर कालेज हेतु आवंटित 9130 वर्गमी0 के भूखण्ड में बेसमेन्ट में आडोटोरियम तथा भूतल सहित चार तल में शैक्षणिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव में वाहनों की पार्किंग खुले में प्रस्तावित की गयी है। भू–आच्छादन, सेटबैक, एफ0ए0आर0 आदि भवन उपविधि–2008 के अनुरूप है। प्रस्तावित शैक्षिक उपयोग के भवन मानचित्र भवन उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत

Scanned by CamScanner

समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत करने हेतु संस्तुति की जाती है:–

प्रतिबन्धः–

1. अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
3. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
6. स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति जिला खनन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
8. खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

विषय सं0–4 श्री पंकज श्रीवास्तव व अन्य के भूखण्ड सं0–1178स व 1179स, ग्राम–अहमामऊ, तहसील व जिला–लखनऊ अमर शहीद पथ पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः शहीद पथ पर स्थित खसरा सं0–1178, ग्राम–अहमामऊ पर 0.248 हे0 भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के विकास हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। महायोजना–2021 के अनुसार भूखण्ड के सामने 60 मी0 शहीद पथ तदोपरान्त 18 मी0 मार्ग प्रस्तावित है। महायोजना मार्ग एवं अन्य संलग्न मार्गों से प्रभावित भूमि को छोड़कर अवशेष पर पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन हेतु रीजनल आफीसर, नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इण्डिया (मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज) द्वारा मानचित्र पर प्रदान की गयी अनापत्ति के क्रम में प्रस्ताव भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप है। 18 मी0 चौडे मार्ग का विकास सुनिश्चित होने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किया जाय। फाइरिंग रेन्ज से प्रभावित होने के दृष्टिगत स्वतः उल्लिखित विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाना होगा। तदनुसार प्रस्ताव भवन उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत करने हेतु संस्तुति की जाती है:–

प्रतिबन्धः–

1. पहुँच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित होने के पश्चात मानचित्र निर्गत की कार्यवाही की जायेगी।
2. आवास एवं विकास परिषद से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात मानचित्र निर्गत की कार्यवाही की जायेगी।
3. फायरिंग रेन्ज से प्रभावित होने के दृष्टिगत अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

Scanned by CamScanner

4. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
6. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
7. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
8. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
9. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
10. स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति जिला खनन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

विषय सं0–5 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मानसरोवर योजना, विस्तार के सेक्टर–पी में 42 फ्लैट्स का ग्रुप हाउसिंग (फाल्गुनी) के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>समिति की संस्तुतिः</u> कानपुर रोड योजना के सेक्टर–पी में 12 मी0 चौड़े मार्ग पर स्थित 0.3628 वर्गमी0 के फ्यूचर प्लानिंग/रिक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित समूह आवास योजना के भवन में स्टिल्ट सहित छः तल के निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव में भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0, सेटबैक आदि भवन उपविधि–2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत, वाहनों की पार्किंग का प्राविधान खुले स्थल एवं स्टिल्ट पर प्रस्तावित है एवं प्रस्ताव भवन उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत करने हेतु संस्तुति की जाती है:–

<u>प्रतिबन्धः</u>–

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए।
3. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग एवं एस0टी0पी0 का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाय।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय।

विषय सं0–6 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के सेक्टर–ई में 126 फ्लैट्स का ग्रुप हाउसिंग (श्रवण) के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

Scanned by CamScanner

समिति की संस्तुतिः सेक्टर–ई, कानपुर रोड योजना की सीमा पर स्थित हिन्दनगर सोसाइटी की योजना तथा प्राधिकरण के मध्य विवाद के अन्तर्गत भूमि का निस्तारण के अन्तर्गत प्राप्त भूमि पर प्राधिकरण द्वारा समूह आवास योजना प्रस्तावित किया गया है। यह 0.58 हे0 भूमि 24 मी0 चौडे मार्ग पर स्थित है। समस्त अवस्थापना सुविधाओंयुक्त भूखण्ड पर स्टिल्ट + 9 फ्लोर भवन निर्माण प्रस्तावित किया गया है। स्टिल्ट तथा खुले में वाहनों की पार्किंग का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावित भवन मानचित्र भवन उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत करने हेतु संस्तुति की जाती हैः–

प्रतिबन्धः–

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किया जाय।
3. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, लैण्ड स्केपिंग एवं एस0टी0पी0 का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने का शपथ पत्र, प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाय।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय।

विषय सं0–7 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के राधाखण्ड में रमाबाई रैली के निकट भूखण्ड पर 51 फ्लैट्स का ग्रुप हाउसिंग (आद्रा) के भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः कानपुर रोड योजना के राधाखण्ड में रमाबाई रैली के निकट भूखण्ड पर 0.3628 वर्गमी0 के फ्यूचर प्लानिंग हेतु रिक्त भूखण्ड पर 51 फ्लैट्स का ग्रुप हाउसिंग (आद्रा) हेतु प्रस्तावित निर्माण के भवन में स्टिल्ट सहित आठ तल के ब्लाक 'ए' एवं तीन तल के ब्लाक 'बी' का समूह आवास योजना प्रस्तावित किया गया है। स्टिल्ट तथा खुले में वाहनों की पार्किंग प्रस्तावित है। भू–आच्छादन, एफ0ए0आर0, सेटबैक आदि भवन उपविधि–2008 के अनुरूप होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत करने हेतु संस्तुति की जाती हैः–

प्रतिबन्धः–

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किय जायेगा तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किया जाय।
3. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण लैण्ड स्केपिंग एवं एस0टी0पी0 का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाने व प्रमाण–पत्र, मानचित्र आदि प्राप्त किया जाय।

Scanned by CamScanner

4. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन सुनिश्चित किया जाय।
5. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाय।

<u>विषय सं0–8</u> पूर्वान्चल कान्सट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा विनम्र खण्ड, गोमतीनगर में प्रस्तावित समूह आवास के सम्बन्ध में।

<u>समिति की संस्तुतिः</u> पूर्वान्चल कान्सट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा गोमतीनगर, विनम्रखण्ड के भूखण्ड के 0.824 हे0 भूमि पर समूह आवास योजना हेतु प्रस्तावित निर्माण में बेसमेन्ट, भूतल एवं 13 तल का भवन मानचित्र प्रस्तावित है। प्रस्ताव में अनुमन्य तल क्षेत्रफल के अतिरिक्त क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सहित कुल क्षेत्रफल पर आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मानचित्र में बेसमेन्ट तथा खुले स्थल में वाहनों की पार्किंग एवं ऊपरी तल में आवासीय इकाईयों को प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित मानचित्र में भू–आच्छादन, सेटबैक, एफ0ए0आर0 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 के अनुरूप है। शासनादेशों के अनुसार आवासीय इकाईयों के सापेक्ष ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 के सापेक्ष शेल्टर फीस प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा मानचित्र को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति/निर्गत करने की संस्तुति की जाती हैः–

<u>प्रतिबन्धः–</u>

1. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जायेगा तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में अंकित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. भवन निर्माण में नेशनल सेफ्टी काउंसिल तथा लेवर एक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रबन्धों को सुनिश्चित किया जाना होगा।
3. शासनादेश के क्रम में भूकम्परोधी प्रबन्ध, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम व लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाना होगा।
4. समस्त वांछित विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
5. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढ़ांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना होगा।
6. विकलांग, दृष्टिबाधित व अशक्त व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रबन्ध किया जाना होगा।
7. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही भवन का उपयोग किया जायेगा।
8. खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

<u>विषय सं0–9</u> गैस्टोकेयर प्रा0 लि0 निरालानगर, लखनऊ के आवासीय/नर्सिंग होम भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>समिति की संस्तुतिः</u> इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की निरालानगर योजना के भूखण्ड सं0–ए4 व ए5 पर नर्सिंग होम निर्माण भूखण्ड सं0–ए–5 को 4 में मिलाते हुए संयुक्त रूप से 2787.09 वर्गमी0 से महायोजना मार्ग से प्रस्तावित भूमि को छोडते हुये 2363.42 वर्गमी0 पर बेसमेन्ट सहित

Scanned by CamScanner

चार तलों के नर्सिंग होम/आवासीय निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित निर्माण के दोनो भूखण्डों को पक्ष द्वारा भूखण्ड के फ्रन्ट सेटबैक, साइड सेटबैक या पीछे सेटबैक के ले–आउट तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुरूप होने के दृष्टिगत तथा इससे अन्य किसी भूखण्ड के प्रभावित न होने के दृष्टिगत भवन मानचित्र की स्वीकृति में प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव में वाहनों की पार्किंग खुले स्थल पर प्रस्तावित की गयी है, जिसमें कुछ पार्किंग डबल लेयर मैकेनाइज्ड के रूप में दर्शित है। मैकेनाइज्ड पार्किंग हेतु परफार्मेन्स गारंटी जमा करानी होगी। अतः प्रस्तावित मानचित्र में भूखण्ड महायोजना के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट दर्शित होने तथा प्रभाव शुल्क न लिये जाने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की आख्या पूर्व में भूखण्ड सं0–ए–4 के मानचित्र स्वीकृति में प्राप्त हो चुकी है। भू–आच्छादन, सेटबैक, एफ0ए0आर0 व पार्किंग नर्सिंग होम के नियमों के अनुरूप होने दृष्टिगत निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत मानचित्र की स्वीकृति/निर्गत करने की संस्तुति की जाती है:–

<u>प्रतिबन्धः–</u>

1. नर्सिंग होम के अन्तर्गत कूड़ा का निस्तारण सुरक्षित ढंग से निस्तारित किया जाना पक्ष की जिम्मेदारी होगी। इस पर पक्ष द्वारा स्वयं कार्यवाही की जायेगी
2. छुआ–छूत से सम्बन्धित बिमारियों का इलाज नहीं किया जायेगा।
3. कूड़ा निस्तारण हेतु डस्टबिन का प्राविधान, निस्तारण की व्यवस्था पक्ष द्वारा स्वतः सुनिश्चित करनी होगी।
4. प्रदूषण की अनापत्ति पक्ष द्वारा प्राप्त करना होगा।
5. योजना को नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने तक पक्ष द्वारा स्वतः रख–रखाव, प्रबन्धन स्वयं करना होगा।
6. ग्राम–समाज की भूमि एग्जाई होती है, उस पर सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
7. इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा वाटर सप्लाई, सीवरेज डिस्पोजल, ड्रेनेज इत्यादि की जाँच प्राधिकरण स्तर से कर ली जाय।
8. शासनादेश के क्रम में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व वृक्षारोपण, सोलर ऊर्जा का प्राविधान (स्ट्रीट लाइटिंग) व लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाना होगा।
9. योजना को विकसित कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
10. खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

<u>विषय सं0–10</u> श्रीमती ज्योति प्रकाश, भूखण्ड सं0–2, रफी अहमद किदवई नगर (एल्डिको ग्रीन) के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>समिति की संस्तुतिः</u> तकनीकी समिति द्वारा भूखण्ड सं0–2, रफी अहमद किदवई नगर के मानचित्र को दिनांक 20.1.2016 को कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु स्पष्ट संस्तुति प्रदान की जा चुकी है। प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्यता के दृष्टिगत समिति की संस्तुति

Scanned by CamScanner

के अनुसार मानचित्र की स्वीकृति/निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही भवन विभाग द्वारा किये जाने की समिति द्वारा पुनः संस्तुति की जाती है।

विषय सं0–11 सचिव, रिषिकुल शिक्षा समिति द्वारा खसरा सं0–171 व अन्य टिकैतराय तालाब, मोहान रोड, बिहारीपुर , लखनऊ पर प्रस्तावित स्कूल भवन मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः वाह्य विकास शुल्क से छूट हेतु आवेदक के अनुरोध पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत शासनादेश संख्या–2836/ आठ–1–09–21डीए/09 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, लखनऊ, दिनॉक 17 अगस्त, 2009 के प्राविधानों पर समिति द्वारा विमर्श किया गया। विचारोपरांत आवेदक के अनुरोध के कम में वाह्य विकास से छूट हेतु शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा की जाती है।

विषय सं0–12 श्री रमेश चन्द्र द्वारा औरंगाबाद खालसा, मानसरोवर योजना, कानपुर रोड, लखनऊ पर प्रस्तावित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

समिति की संस्तुतिः

तकनीकी समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत एवं निर्गत हेतु संस्तुत प्रकरण पर भवन विभाग द्वारा सम्बन्धित जोन से स्थलीय स्थिति के अनुसार विकास शुल्कों पर आख्या/प्रस्ताव प्राप्त करते हुये एवं मुख्य अभियन्ता, अनुभाग से की संस्तुति तथा आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड में आन्तरिक विकास स्वयं किये जाने तथा उपरोक्त हेतु बैंक गारन्टी एवं निरीक्षण शुल्क लिये जाने के कारण पुनः आंतरिक विकास शुल्क आरोपित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है, का समिति के सभी सदस्यों का मंतव्य स्थिर हुआ। मानचित्र सेल द्वारा उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अन्त में समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(जे0एन0 रेड्डी)
मुख्य नगर नियोजक/
संयोजक
ल0वि0प्रा0,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव,
ल0वि0प्रा0

अनुमोदित

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष,
ल0वि0प्रा0, लखनऊ

Scanned by CamScanner